



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04042022-234818
CG-DL-E-04042022-234818

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 242]
No. 242]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 4, 2022/चैत्र 14, 1944
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 4, 2022/CHAITRA 14, 1944

वस्त्र मंत्रालय
(केन्द्रीय रेशम बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2022

सा.का.नि. 254(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय रेशम बोर्ड (प्रशासनिक, लेखा और साधारण काडर पद), भर्ती नियम, 2015 को, जहाँ तक उनका संबंध संयुक्त निदेशक (प्रशासन), संयुक्त निदेशक (वित्त), उपनिदेशक (प्रशासन और लेखा), उपनिदेशक (वित्त), उपनिदेशक (प्रचार), उपनिदेशक (राजभाषा), पुस्तकालय और सूचना अधिकारी, उपनिदेशक (सांख्यिकी), सहायक निदेशक (प्रशासन और लेखा), सहायक निदेशक (प्रचार), सहायक निदेशक (राजभाषा), तथा सहायक निदेशक (सांख्यिकी), के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वस्त्र मंत्रालय, केन्द्रीय रेशम बोर्ड में संयुक्त निदेशक (प्रशासन), संयुक्त निदेशक (वित्त), उपनिदेशक (प्रशासन और लेखा), उपनिदेशक (वित्त), उपनिदेशक (प्रचार), उपनिदेशक (राजभाषा), पुस्तकालय और सूचना अधिकारी, उपनिदेशक (सांख्यिकी), सहायक निदेशक (प्रशासन और लेखा), सहायक निदेशक (प्रचार), सहायक निदेशक (राजभाषा), तथा सहायक निदेशक (सांख्यिकी) के पदों की भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रेशम बोर्ड (प्रशासनिक, लेखा और साधारण काडर पद), समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2021 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- लागू होना-** ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इससे उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ, आदि-उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह संविदा की है ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु, यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति : जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, यहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके तथा इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. संयुक्त निदेशक (प्रशासन)।	2* (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क' अनुसूचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -12 (78800-209200रु.).	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	परिस्थितियाँ, जिसमें भर्ती किए जाने के लिए लोक सेवा आयोग से संपर्क किया जाना है।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर, प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (67700-208700 रु.) में ऐसे उप-निदेशक (प्रशासन और लेखा) में से जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है। टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा	विभागीय प्रोन्नति समिति में (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए निम्नलिखित से मिलकर बनेगी) :- 1.सदस्य सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड- अध्यक्ष;	लागू नहीं होता।

			पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ	2. निदेशक या उपसचिव, वस्त्र मंत्रालय-सदस्य; 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक-सदस्य।	
			व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	(II) प्रतिनियुक्ति के लिए चयन समिति के गठन में :- 1 सदस्य सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड-अध्यक्ष; 2. निदेशक या उपसचिव, वस्त्र मंत्रालय- सदस्य; 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के प्रशासन से एक ज्येष्ठ अधिकारी-सदस्य।	
			प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्यरत कानूनी या स्वशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी ; (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स स्तर-11(रु.67700-208700 रु.) या समतुल्य में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है, तथा (ख) जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री लिए हों। टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

			टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. संयुक्त निदेशक (वित्त)।	1* (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह (क), अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 में (78800-209200 रु.)	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर, प्रतिनियुक्ति द्वारा।	<p>प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700 रु.) में ऐसे उप-निदेशक (वित्त) में से जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर</p>	<p>(I) विभागीय प्रोन्नति समिति में (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए निम्नलिखित से मिलकर बनेगी) :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सदस्य सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड- अध्यक्ष; 2. निदेशक या उप सचिव, वस्त्र मंत्रालय- सदस्य; 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक-सदस्य। <p>(II) प्रतिनियुक्ति के लिए चयन समिति के गठन में :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सदस्य सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड- अध्यक्ष; 2. निदेशक या उपसचिव, वस्त्र मंत्रालय- सदस्य; 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के प्रशासन से एक ज्येष्ठ अधिकारी-सदस्य। 	लागू नहीं होता
			<p>ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति; केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्यरत</p>		

			<p>कानूनी स्वशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी ;</p> <p>(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ;</p> <p>या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर (67700-208700 रु.), या समतुल्य में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है, तथा</p> <p>(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता रखते हैं,</p> <p>(i) भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान से अर्हित चार्टर्ड एकाउंटेंट ;</p> <p>या</p> <p>(ii) भारत के कॉस्ट एकाउन्टेण्ट संस्थान से अर्हित कॉस्ट एकाउन्टेण्ट ;</p> <p>या</p> <p>(iii) भारत के कंपनी सेक्रेटरी संस्थान से अर्हित कंपनी सेक्रेटरी ;</p>		
			<p>या</p> <p>(iv) बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री ;</p> <p>या</p> <p>(v) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कामर्स में मास्टर डिग्री।</p> <p>टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से</p>		

			अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. उप निदेशक (प्रशासन और लेखा)	10* (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क', अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रु.)	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर, प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100-177500रु.) में ऐसे सहायक निदेशक (प्रशासन व लेखा) में से जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है। टिप्पण 1 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों	(I) विभागीय प्रोन्नति समिति में (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. सदस्य सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड- अध्यक्ष; 2. निदेशक या उपसचिव, वस्त्र मंत्रालय- सदस्य; 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक-सदस्य। (II) प्रतिनियुक्ति के लिए चयन समिति के गठन में :- 1. सदस्य सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड- अध्यक्ष; 2. निदेशक या उपसचिव, वस्त्र मंत्रालय- सदस्य; 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के प्रशासन से एक ज्येष्ठ अधिकारी-सदस्य।	लागू नहीं होता

			सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि		
--	--	--	---	--	--

			<p>सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति; केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्यरत कानूनी या स्वशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी ;</p> <p>(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (रु. 56100-177500 रु.) या समतुल्य में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है, तथा जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री हैं।</p> <p>टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार</p>		
			<p>किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. उप निदेशक (वित्त)।	1* (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह-‘क’, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 मे (67700-208700रु.)	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर, प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p>प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100-177500 रु.)में ऐसे सहायक निदेशक (प्रशासन व लेखा) में से जिन्होंने निम्नलिखित अर्हता पूरी की है;</p> <p>(i) भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान से अर्हित चार्टर्ड एकाउंटेंट; या</p> <p>(ii) भारत के कॉस्ट एकाउन्टैण्ट संस्थान से अर्हित कॉस्ट एकाउन्टैण्ट; या</p> <p>(iii) भारत के कंपनी सेक्रेटरी संस्थान से अर्हित कंपनी सेक्रेटरी; या</p> <p>(iv) बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री;</p>	<p>(I) विभागीय प्रोन्नति समिति में (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए निम्नलिखित से मिलकर बनेगी) :-</p> <p>1.सदस्य सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड- अध्यक्ष;</p> <p>2. निदेशक या उपसचिव, वस्त्र मंत्रालय-सदस्य;</p> <p>3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक-सदस्य।</p> <p>(II) प्रतिनियुक्ति के लिए चयन समिति के गठन में :-</p> <p>1 सदस्य सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड- अध्यक्ष;</p> <p>2. निदेशक या उपसचिव, वस्त्र मंत्रालय-सदस्य;</p>	लागू नहीं होता
			<p>या</p> <p>(v) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कामर्स में मास्टर डिग्री तथा जिन्होंने 5 वर्ष की अर्हता सेवा पूरी कर ली है।</p> <p>टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए</p>	3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के प्रशासन से एक ज्येष्ठ अधिकारी-सदस्य।	

			<p>विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्यरत कानूनी या स्वशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी ;</p>		
			<p>(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100-177500 रु.), या समतुल्य में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है, तथा (ख) निम्नलिखित शैक्षिक आहर्ता रखते हैं, (i) भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान से अर्हित चार्टर्ड एकाउंटेंट; या (ii) भारत के कॉस्ट एकाउन्टैण्ट संस्थान से अर्हित कॉस्ट एकाउन्टैण्ट या</p>		

			<p>(iii) भारत के कंपनी सेक्रेटरी संस्थान से अर्हित कंपनी सेक्रेटरी;</p> <p>या</p> <p>(iv) बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री ;</p>		
			<p>या</p> <p>(v) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कामर्स में मास्टर डिग्री ।</p> <p>टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p> <p>टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p>		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. उप निदेशक (प्रचार)।	1* (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क', अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 में (67700-208700 रु.)	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर, प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स (56100-177500रु.), के स्तर-10 में ऐसे सहायक निदेशक (प्रचार) में से जिन्होंने पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है। टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में	(I) विभागीय प्रोन्नति समिति में (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए निम्नलिखित से मिलकर बनेगी) :- 1. सदस्य सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड - अध्यक्ष; 2. निदेशक या उपसचिव, वस्त्र मंत्रालय - सदस्य; 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक-सदस्य। (II) प्रतिनियुक्ति के लिए चयन समिति के गठन में :- 1. सदस्य सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड- अध्यक्ष; 2. निदेशक या उपसचिव, वस्त्र मंत्रालय- सदस्य; 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के प्रशासन से एक ज्येष्ठ अधिकारी-सदस्य।	लागू नहीं होता।

			प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। प्रतिनियुक्ति; केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत कार्यरत कानूनी या स्वशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी ; (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के		
--	--	--	---	--	--

			<p>स्तर-10 (56100-177500 रु.), या समतुल्य में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है, तथा</p> <p>(ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक डिग्री या किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में डिप्लोमा के साथ मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री।</p> <p>टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार</p>		
			<p>किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. उप निदेशक (राजभाषा)।	2*(2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क', अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 में (67700-208700 रु.) में।	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर, प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100-177500 रु.) में ऐसे	(I) विभागीय प्रोन्नति समिति में (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के	लागू नहीं होता।

		<p>सहायक निदेशक (प्रचार) में से जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा</p>	<p>लिए निम्नलिखित से मिलकर बनेगी) :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सदस्य सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड- अध्यक्ष; 2. निदेशक या उपसचिव, वस्त्र मंत्रालय- सदस्य; 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक-सदस्य। <p>(II) प्रतिनियुक्ति के लिए चयन समिति के गठन में :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सदस्य सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड- अध्यक्ष; 2. निदेशक या उपसचिव, वस्त्र मंत्रालय- सदस्य;
--	--	---	--

		<p>पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति; केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्यरत कानूनी या स्वशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी;</p> <p>(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ;</p> <p>या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100-177500 रु.) या समतुल्य में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है, तथा</p> <p>(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता रखते हैं,-</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम से रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में मास्टर डिग्री या</p>	<p>3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के प्रशासन से एक ज्येष्ठ अधिकारी-सदस्य।</p>
--	--	---	--

		<p>(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री</p> <p>या</p> <p>(iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी विषय में हिंदी माध्यम के साथ मास्टर डिग्री</p> <p>या</p> <p>(iv) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी विषय में अंग्रेजी माध्यम के साथ मास्टर डिग्री</p> <p>या</p> <p>(v) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी और अंग्रेजी या इन दोनों में से कोई एक परीक्षा के माध्यम और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हो, के साथ हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किसी विषय में मास्टर डिग्री और</p> <p>(vi) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से हिंदी से अंग्रेजी तथा अनुलोमतः अनुवाद में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।</p> <p>टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार</p>	
--	--	---	--

			<p>किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	
--	--	--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. पुस्तकालय और सूचना अधिकारी।	1* (2021* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह-क, गैर-अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 में (67700-208700 रु.) में।	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर, प्रतिनियुक्ति द्वारा।	<p>प्रोन्नति :</p> <p>वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 7 (44900-142400 रु.), में ऐसे सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी में से जिन्होंने उस श्रेणी में सात वर्ष की नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो,</p>	<p>(I) विभागीय प्रोन्नति समिति में (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए निम्नलिखित से मिलकर बनेगी) :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सदस्य सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड- अध्यक्ष 2. निदेशक या उपसचिव, वस्त्र मंत्रालय- सदस्य; 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक-सदस्य। <p>(II) प्रतिनियुक्ति के लिए चयन समिति के गठन में :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 सदस्य सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड- अध्यक्ष; 	लागू नहीं होता।
			कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता	<ol style="list-style-type: none"> 2. निदेशक या उपसचिव, वस्त्र मंत्रालय- सदस्य; 	

			<p>सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति; केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्यरत कानूनी या स्वशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी ;</p> <p>(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ;</p> <p>या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100-177500रु.) या समतुल्य में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है,</p> <p>या</p> <p>(iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रु.), में सात वर्ष की नियमित सेवा की है, तथा</p>	<p>3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के प्रशासन से एक ज्येष्ठ अधिकारी-सदस्य।</p>	
			<p>(ख) जिन्होंने किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक की डिग्री ली है।</p> <p>टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा</p>		

			नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8 उप निदेशक (सांख्यिकी)	1*(2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह "क," गैर- अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 में (67700-208700 रु.)	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर, प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 10 (56100-177500 रु.) में ऐसे सहायक निदेशक (सांख्यिकी) में से जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है। टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने	(I) विभागीय प्रोन्नति समिति में (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए निम्नलिखित से मिलकर बनेगी) :- 1. सदस्य सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड- अध्यक्ष; 2. निदेशक या उपसचिव, वस्त्र मंत्रालय- सदस्य; 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक-सदस्य। (II) प्रतिनियुक्ति के लिए चयन समिति के गठन में :- 1 - सदस्य सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड- अध्यक्ष;	लागू नहीं होता।	
			ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। प्रतिनियुक्ति; केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्यरत कानूनी या स्वशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी ; (क) (i) जो नियमित आधार	2. निदेशक या उपसचिव, वस्त्र मंत्रालय- सदस्य; 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के प्रशासन से एक ज्येष्ठ अधिकारी-सदस्य।		

			<p>पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ;</p> <p>या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100-177500 रु.),या समतुल्य में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है, तथा</p> <p>(ख) जिन्होंने किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी में स्नातक की डिग्री ली है।</p> <p>टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार</p>		
			<p>किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. सहायक निदेशक (प्रशासन और लेखा)।	37* (2021)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह-'क', अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 10 (56100-177500 रु.)।	चयन।	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम	अनिवार्य आवश्यक अर्हता : (i) इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से अर्हित चार्टर्ड एकाउंटेंट ; या (ii) इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से अर्हित कॉस्ट एकाउंटेंट ; या (iii) भारत के कंपनी सेक्रेटरी संस्थान से अर्हित कंपनी सेक्रेटरी ; या (iv) बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री ; या

					तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल तथा स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, संघ राज्य क्षेत्रों लद्दाख, अंडमान और	(v) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य में मास्टर डिग्री। वांछनीय: मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में स्नातक की डिग्री। टिप्पण 1 : अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।
					निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	एक वर्ष टिप्पण : केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रेरण होगा।	(i) अस्सी प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; तथा (ii) बीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा.	प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रु.) में ऐसे अधीक्षक (प्रशासन) में से जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है। टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब	(I) विभागीय प्रोन्नति समिति में (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए निम्नलिखित से मिलकर बनेगी) :- 1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक - अध्यक्ष; 2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक संयुक्त निदेशक या उपनिदेशक - सदस्य;	लागू नहीं होता
			जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में	3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से संयुक्त निदेशक (प्रशासन) या उपनिदेशक (प्रशासन और लेखा)- सदस्य। (II) प्रतिनियुक्ति के लिए चयन समिति के गठन में :- 1. सदस्य सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड - अध्यक्ष; 2. निदेशक या उपसचिव, वस्त्र मंत्रालय	

		<p>प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति; केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्यरत कानूनी या स्वशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी ;</p> <p>(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ;</p> <p>या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स स्तर-7 (44900-142400 रु.), या समतुल्य में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है, तथा</p> <p>(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता रखते हैं,</p>	<p>- सदस्य;</p> <p>3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के प्रशासन से एक ज्येष्ठ अधिकारी -सदस्या।</p> <p>(III) चयन समिति (सीधी भर्ती के लिए)</p> <p>1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक - अध्यक्ष;</p> <p>2. वस्त्र मंत्रालय से उप सचिव या अवर सचिव - सदस्य ;</p>	
		<p>(i) इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से अर्हित चार्टर्ड एकाउंटेंट;</p> <p>या</p> <p>(ii) इंस्टीट्यूट ऑफ़ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया से अर्हित कॉस्ट एकाउंटेंट,</p> <p>या</p> <p>(iii) भारत के कंपनी सेक्रेटरी संस्थान से अर्हित कंपनी सेक्रेटरी,</p> <p>या</p> <p>(iv) बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री;</p> <p>या</p> <p>(v) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य में मास्टर डिग्री।</p> <p>टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के</p>	<p>3. केन्द्रीय सरकार के किसी लेखा संगठन के एक ज्येष्ठ अधिकारी जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13 (123100- 215900 रु.) से कम न हों- सदस्या।</p> <p>(IV) विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के के संबंध में विचार करने के लिए निम्नलिखित से मिलकर बनेगी) में :-</p> <p>1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक - अध्यक्ष ;</p> <p>2. संयुक्त निदेशक (प्रशासन) या संयुक्त निदेशक (वित्त), केन्द्रीय रेशम बोर्ड - सदस्य;</p> <p>3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक उपनिदेशक या उपसचिव (तकनीकी) या समतुल्य स्तर के अधिकारी होंगे सदस्या।</p>	

			पात्र नहीं होंगे।		
			<p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10. सहायक निदेशक (प्रचार)।	2* (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह-‘क’, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक स्तर-10 (56100-177500 रु.) में	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर, प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p>प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (रु.44900-142400), में ऐसे अधीक्षक (प्रचार) में से जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब</p>	<p>(I) विभागीय प्रोन्नति समिति में (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए निम्नलिखित से मिलकर बनेगी) :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक - अध्यक्ष; 2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक संयुक्त निदेशक या उपनिदेशक - सदस्य; 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से संयुक्त निदेशक (प्रशासन) या उपनिदेशक (प्रशासन) 	

			जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से	और लेखा) -सदस्य। (II) प्रतिनियुक्ति के लिए चयन समिति के गठन में :-	
			या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्यरत कानूनी या स्वशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी ; (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रु.) या समतुल्य में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है, तथा (ख) जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक डिग्री ली है या किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से	1. सदस्य सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड - अध्यक्ष; 2. निदेशक या उपसचिव, वस्त्र मंत्रालय - सदस्य; 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के प्रशासन से एक ज्येष्ठ अधिकारी -सदस्य।	
			पत्रकारिता में डिप्लोमा के साथ मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री ली है। टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार		

			<p>प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. सहायक निदेशक (राजभाषा)।	6* (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह-क, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स स्तर-10 (56100-177500 रु.) में	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर, प्रतिनियुक्ति द्वारा।	<p>प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 7 (44900-142400 रु.) ऐसे ज्येष्ठ अनुवादक (हिंदी) में से जिन्होंने, उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम</p>	<p>(I) विभागीय प्रोन्नति समिति में (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए निम्नलिखित से मिलकर बनेगी) :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक - अध्यक्ष; 2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक संयुक्त निदेशक या उपनिदेशक - सदस्य; 3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से संयुक्त निदेशक (प्रशासन) या उपनिदेशक (प्रशासन और लेखा) - सदस्य। 	

			न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ		
			<p>व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति; केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्यरत कानूनी या स्वशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी ;</p> <p>(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ;</p> <p>या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रु.) या समतुल्य में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है, तथा</p> <p>(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता रखते हैं,</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम से रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में मास्टर डिग्री;</p>	(II) प्रतिनियुक्ति के लिए चयन समिति के गठन में :-	

			<p>या</p> <p>(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री</p> <p>या</p> <p>(iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी विषय में हिंदी माध्यम के साथ मास्टर डिग्री</p> <p>या</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>(iv) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी विषय में अंग्रेजी माध्यम के साथ मास्टर डिग्री या</p> <p>(v) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी और अंग्रेजी या इन दोनों में से कोई एक परीक्षा के माध्यम और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप</p>		
			<p>में हो, के साथ हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किसी विषय में मास्टर डिग्री और</p> <p>(vi) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से हिंदी से अंग्रेजी तथा अनुलोमतः अनुवाद में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।</p> <p>टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12. सहायक निदेशक (सांख्यिकी)।	4* (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह-क, अनुनसचिवीया।	वेतन मैट्रिक्स स्तर-10 (56100-177500 रु.) में	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर, प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p>प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रु.) ऐसे ज्येष्ठ सांख्यिकी में से जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्यरत</p>	<p>(I) विभागीय प्रोन्नति समिति में (प्रोन्नति के के संबंध में विचार करने के लिए निम्नलिखित से मिलकर बनेगी) :-</p> <ol style="list-style-type: none"> केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक निदेशक - अध्यक्ष; केन्द्रीय रेशम बोर्ड के बाहर से एक संयुक्त निदेशक या उपनिदेशक - सदस्य; केन्द्रीय रेशम बोर्ड से संयुक्त निदेशक (प्रशासन) या उपनिदेशक (प्रशासन और लेखा) - सदस्य। <p>(II) प्रतिनियुक्ति के लिए चयन समिति के गठन में :-</p> <ol style="list-style-type: none"> सदस्य सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड - अध्यक्ष; निदेशक या उपसचिव, वस्त्र मंत्रालय - सदस्य; केन्द्रीय रेशम बोर्ड के प्रशासन से एक ज्येष्ठ अधिकारी - सदस्य। 	

		<p>सांविधिक या स्वशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी ;</p> <p>(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रु.) या समतुल्य में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है, तथा</p> <p>(ख) जिन्होंने किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी में स्नातक डिग्री ली है।</p> <p>टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर</p>		
		<p>नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		

MINISTRY OF TEXTILES**(Central Silk Board)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th March, 2022

G.S.R. 254(E).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948) and in supersession of the Central Silk Board (Administrative, Accounts and General Cadre Posts) Recruitment Rules, 2015, in so far as they relate to the posts of Joint Director (Administration), Joint Director (Finance), Deputy Director (Administration and Accounts), Deputy Director (Finance), Deputy Director (Publicity), Deputy Director (Official Language), Library and Information Officer, Deputy Director (Statistics), Assistant Director (Administration and Accounts), Assistant Director (Publicity), Assistant Director (Official Language) and Assistant Director (Statistics), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Joint Director (Administration), Joint Director (Finance), Deputy Director (Administration and Accounts), Deputy Director (Finance), Deputy Director (Publicity), Deputy Director (Official Language), Library and Information Officer, Deputy Director (Statistics), Assistant Director (Administration and Accounts), Assistant Director (Publicity), Assistant Director (Official Language) and Assistant Director (Statistics) in the Ministry of Textiles, Central Silk Board, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Central Silk Board (Administrative, Accounts and General Cadre Posts), Group 'A' Posts, Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.**—The number of the said posts, their classifications and level in the pay matrix attached hereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission and relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Joint Director (Administration).	2* (2021) * Subject to variation dependent on work load.	Group 'A', Ministerial.	Level -12 in the pay matrix (Rs.78800-209200).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled up by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.	<p>Promotion: From among the Deputy Director (Administration and Accounts) in level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700) with five years regular service in the grade.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: Officers of the Central Government or statutory or autonomous organisations functioning under the Central</p>	<p>(I) Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Member-Secretary, Central Silk Board -Chairman; 2. Director or Deputy Secretary, Ministry of Textiles -Member; 3. A Director from Central Silk Board -Member. <p>(II)Composition of the Selection Committee for deputation:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Member-Secretary, Central Silk Board - Chairman; 2. Director or Deputy Secretary, Ministry of Textiles - Member; 3. A Senior Officer of Central Silk Board from Administration - Member. 	Not applicable.

			<p>Government;</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on a regular basis; or (ii) with five years of regular service in level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700) or equivalent, and</p> <p>(b) possessing Bachelor's degree from a recognised University or institute.</p> <p>Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years' as on the closing date of</p>		
--	--	--	--	--	--

			receipt of applications.		
--	--	--	--------------------------	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Joint Director (Finance).	1* (2021) * Subject to variation dependent on work load.	Group 'A', Ministerial.	Level -12 in the pay matrix (Rs.78800-209200).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.	<p>Promotion: From among the Deputy Director (Finance) in level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700)with five years regular service in the grade.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation; Officers of the Central Government</p>	<p>(I)Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Member-Secretary, Central Silk Board -Chairman; 2. Director or Deputy Secretary, Ministry of Textiles -Member; 3. A Director from Central Silk Board -Member. <p>(II)Composition of the Selection Committee for deputation:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Member-Secretary, Central Silk Board - Chairman; 2. Director or Deputy Secretary, Ministry of Textiles - Member; 	Not applicable.

			<p>or statutory or autonomous organisations functioning under the Central Government,</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on a regular basis; or (ii) with five years of regular service in level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700) or equivalent, and</p> <p>(b) possessing the following educational qualification,</p> <p>(i) qualified Chartered Accountant from the Institute of Chartered Accountants of India; or (ii) qualified Cost Accountant from the Institute of Cost Accountants of India; or (iii) qualified Company Secretary from the Institute of Company Secretaries of India; or (iv) Master of Business Administration; or (v) Master's degree in Commerce from a recognised University or institute.</p> <p>Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on</p>	3. A Senior Officer of Central Silk Board from Administration - Member.	
--	--	--	--	---	--

			<p>deputation and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Deputy Director (Administration and Accounts).	10* (2021) * Subject to variation dependent on work load.	Group 'A', Ministerial.	Level -11 in the pay matrix (Rs.67700-208700).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.	Promotion: From among the Assistant Director (Administration and Accounts) in level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500)	(I)Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-	Not applicable.

			<p>with five years regular service in the grade.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: Officers of the Central Government or statutory or autonomous organisations functioning under the Central Government;</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on a regular basis; or (ii) with five years of regular service in level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500) or equivalent, and</p> <p>(b) possessing the Bachelor's degree from a recognised University or institute.</p>	<p>1. Member-Secretary, Central Silk Board - Chairman;</p> <p>2. Director or Deputy Secretary, Ministry of Textiles - Member;</p> <p>3. A Director from Central Silk Board – Member.</p> <p>(II)Composition of the Selection Committee for deputation:-</p> <p>1. Member-Secretary, Central Silk Board - Chairman;</p> <p>2. Director or Deputy Secretary, Ministry of Textiles - Member;</p> <p>3. A Senior Officer of Central Silk Board from Administration - Member.</p>	
--	--	--	---	--	--

			<p>Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Deputy Director (Finance).	1* (2021) * Subject to variation dependent on work load.	Group 'A', Ministerial.	Level -11 in the pay matrix (Rs.67700-208700).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.	Promotion: From among the Assistant Director (Administration and	(I)Departmental Promotion Committee (for considering promotion)	Not applicable.

		<p>Accounts)in level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500)possessing the qualification of;</p> <p>(i) qualified Chartered Accountant from the Institute of Chartered Accountants of India; or</p> <p>(ii) qualified Cost Accountant from the Institute of Cost Accountants of India; or</p> <p>(iii) qualified Company Secretary from the Institute of Company Secretaries of India; or</p> <p>(iv) Master of Business Administration; or</p> <p>(v) Master's degree in Commerce from a recognised University or Institute and who have completed the minimum qualifying service of five years.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such</p>	<p>consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Member-Secretary, Central Silk Board - Chairman; 2. Director or Deputy Secretary, Ministry of Textiles - Member; 3. A Director from Central Silk Board – Member. <p>(II)Composition of the Selection Committee for deputation:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Member-Secretary, Central Silk Board - Chairman; 2. Director or Deputy Secretary, Ministry of Textiles - Member; 3. A Senior Officer of Central Silk Board from Administration - Member. 	
--	--	---	---	--

			<p>qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: Officers of the Central Government or statutory or autonomous organisations functioning under the Central Government,</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on a regular basis; or (ii) with five years of regular service in level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500) or equivalent, and</p> <p>(b) possessing the following educational qualification:</p> <p>(i) qualified Chartered Accountant from the Institute of Chartered Accountants of India; or (ii) qualified Cost Accountant from the Institute of Cost Accountants of India; or (iii) qualified Company Secretary from the Institute of Company Secretaries of India; or (iv) Master of Business Administration; or (v) Master's degree in Commerce from a recognised University or institute</p> <p>Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible</p>	
--	--	--	---	--

			<p>for consideration for appointment on deputation and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. Deputy Director (Publicity).	1* (2021) * Subject to variation dependent on work load.	Group 'A', Non-Ministerial.	Level -11 in the pay matrix (Rs.67700-208700).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.	<p>Promotion:</p> <p>From among the Assistant Director (Publicity) in level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500) with five years regular service in the grade.</p>	<p>(I)Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <p>1. Member-Secretary, Central Silk Board -</p>	Not applicable.

			<p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: Officers of the Central Government or statutory or autonomous organisations functioning under the Central Government; (a) (i) holding analogous posts on a regular basis; or (ii) with five years of regular service in level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500) or equivalent, and (b) possessing the Bachelor's degree from a recognised University in Journalism or Bachelor's degree from a recognised University with Diploma in Journalism from a</p>	<p>Chairman;</p> <p>2. Director or Deputy Secretary, Ministry of Textiles - Member;</p> <p>3. A Director from Central Silk Board – Member.</p> <p>(II)Composition of the Selection Committee for deputation:-</p> <p>1. Member-Secretary, Central Silk Board - Chairman;</p> <p>2. Director or Deputy Secretary, Ministry of Textiles - Member;</p> <p>3. A Senior Officer of Central Silk Board from Administration - Member.</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>recognised institute or University.</p> <p>Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. Deputy Director (Official Language).	2* (2021) * Subject to variation dependent on work load.	Group 'A', Non-Ministerial.	Level -11 in the pay matrix (Rs.67700-208700).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.	<p>Promotion:</p> <p>From among the Assistant Director (Official Language) in level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500) with five years regular service in the grade.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: Officers of the Central Government or statutory or autonomous organisations functioning under the Central Government;</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on a regular basis; or</p>	<p>(I) Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Member-Secretary, Central Silk Board - Chairman; 2. Director or Deputy Secretary, Ministry of Textiles - Member; 3. A Director from Central Silk Board – Member. <p>(II) Composition of the Selection Committee for deputation:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Member-Secretary, Central Silk Board - Chairman; 2. Director or Deputy Secretary, Ministry of Textiles - Member; 3. A Senior Officer of Central Silk Board from Administration - Member. 	Not applicable.

			<p>(ii) with five years of regular service in level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500) or equivalent, and</p> <p>(b) possessing the following educational qualification,-</p> <p>(i) Master's degree from a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;</p> <p>or</p> <p>(ii) Master's degree from a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;</p> <p>or</p> <p>(iii) Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;</p> <p>or</p> <p>(iv) Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;</p> <p>or</p> <p>(v) Master's degree of a recognised University in any subject other than</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; and</p> <p>(vi) Diploma or certificate course from a recognised institute or University in translation from Hindi to English and vice versa.</p> <p>Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not</p>		
--	--	--	---	--	--

			exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of applications.		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. Library and Information Officer.	1* (2021) * Subject to variation dependent on work load.	Group 'A', Non-Ministerial.	Level -11 in the pay matrix (Rs.67700-208700).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.	<p>Promotion:</p> <p>From among the Assistant Library and Information Officer in level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) with seven years regular service in the grade.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>(I) Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Member-Secretary, Central Silk Board - Chairman; 2. Director or Deputy Secretary, Ministry of Textiles - Member; 3. A Director from Central Silk Board – Member. <p>(II) Composition of the Selection Committee for deputation:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Member-Secretary, Central Silk Board - Chairman; 2. Director or Deputy Secretary, Ministry of Textiles - Member; 	Not applicable.

			<p>Deputation: Officers of the Central Government or statutory or autonomous organisations functioning under the Central Government;</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on a regular basis; or (ii) with five years of regular service in level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500) or equivalent; or (iii) with seven years of regular service in level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) or equivalent, and</p> <p>(b) possessing the Bachelor's degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised University or institute.</p> <p>Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately</p>	3. A Senior Officer of Central Silk Board from Administration - Member.	
--	--	--	---	---	--

			<p>preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. Deputy Director (Statistics).	I* (2021) * Subject to variation dependent on work load.	Group 'A', Non-Ministerial.	Level -11 in the pay matrix (Rs.67700-208700).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.	<p>Promotion:</p> <p>From among the Assistant Director (Statistics) in level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500) with five years regular service in the grade.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or</p>	<p>(I) Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Member-Secretary, Central Silk Board - Chairman; 2. Director or Deputy Secretary, Ministry of Textiles - Member; 3. A Director from Central Silk Board – Member. <p>(II) Composition of</p>	Not applicable.

		<p>two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: Officers of the Central Government or statutory or autonomous organisations functioning under the Central Government;</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on a regular basis; or (ii) with five years of regular service in level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500) or equivalent, and</p> <p>(b) possessing the Bachelor's degree in Statistics from a recognised University.</p> <p>Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation including the period</p>	<p>the Selection Committee for deputation:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Member-Secretary, Central Silk Board - Chairman; 2. Director or Deputy Secretary, Ministry of Textiles - Member; 3. A Senior Officer of Central Silk Board from Administration - Member. 	
--	--	---	---	--

			<p>of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. Assistant Director (Administration and Accounts).	37* (2021) * Subject to variation dependent on work load.	Group 'A', Ministerial.	Level -10 in the pay matrix (Rs.56100-177500).	Selection.	Not exceeding thirty-five years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from	Essential qualification: (i) qualified Chartered Accountant from the Institute of Chartered Accountants of India; or (ii) qualified Cost Accountant from the Institute of Cost Accountants of India; or (iii) qualified Company Secretary from the Institute of Company Secretaries of India; or
					candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland,	(iv) Master of Business Administration; or (v) Master's degree in Commerce from a recognised University or institute.

					<p>Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.</p>	<p>Desirable: Bachelor's degree in Law from recognised University or institute.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>
--	--	--	--	--	---	--

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	<p>One year.</p> <p>Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of</p>	<p>(i) eighty per cent. by promotion; and (ii) twenty per cent. by direct recruitment failing which by deputation.</p>	<p>Promotion: From among the Superintendent (Administration) in level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400)with three yearsregular service in the grade.</p>	<p>(I) Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <p>1. A Director from</p>	Not applicable.

	<p>probation as prescribed by the Central Government.</p>		<p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: Officers of the Central Government or statutory or autonomous organisations functioning under the Central Government,</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on a regular basis; or</p> <p>(ii) with three years of regular service in level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) or equivalent, and</p> <p>(b) possessing the following educational qualification, (i) qualified Chartered Accountant from the institute of Chartered</p>	<p>Central Silk Board -Chairman; 2. A Joint Director or Deputy Director from outside Central Silk Board – Member; 3. A Joint Director (Administration) or Deputy Director (Administration and Accounts) from the Central Silk Board – Member.</p> <p>(II) Selection Committee for deputation:-</p> <p>1. Member-Secretary, Central Silk Board - Chairman; 2. Director or Deputy Secretary, Ministry of Textiles - Member; 3. A Senior Officer of Central Silk Board from Administration - Member.</p> <p>(III) Selection Committee (for direct recruitment)</p> <p>1. A Director from Central Silk Board - Chairman; 2. Deputy Secretary or Under Secretary Ministry of Textiles Member; 3. A Senior Officer serving in a Central Government Accounting organisation not below level-13 in the pay matrix(Rs.123100-215900) – Member.</p> <p>(IV) Department</p>	
--	---	--	---	--	--

			<p>Accountants of India; or (ii) qualified Cost Accountant from the institute of Cost Accountants of India; or (iii) qualified Company Secretary from the institute of Company Secretaries of India or (iv) Master of Business Administration or (v) Master's degree in Commerce from a recognised University or institute.</p> <p>Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years' as on the</p>	<p>Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. A Director from Central Silk Board – Chairperson; 2. Joint Director (Administration) or Joint Director (Finance), Central Silk Board Member; 3. A Deputy Director or Deputy Secretary (Technical) or equivalent level Officer from Central Silk Board - Member.</p>	
--	--	--	---	---	--

			closing date of receipt of applications		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10. Assistant Director (Publicity).	2* (2021) * Subject to variation dependent on work load.	Group 'A', Non-Ministerial.	Level -10 in the pay matrix (Rs.56100-177500).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	By promotion failing which by deputation.	<p>Promotion: From among the Superintendent (Publicity) in level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) with three years regular service in the grade.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: Officers of the Central Government</p>	<p>(I) Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A Director from Central Silk Board - Chairman; 2. A Joint Director or Deputy Director from outside Central Silk Board – Member; 3. A Joint Director (Administration) or Deputy Director (Administration and Accounts) from the Central Silk Board – Member. <p>(II) Composition of the Selection Committee for deputation:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Member-Secretary, Central Silk Board - Chairman; 2. Director or Deputy Secretary, Ministry of 	

			<p>or statutory or autonomous organisations functioning under the Central Government;</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on a regular basis; or (ii) with three years of regular service in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) or equivalent, and</p> <p>(b) possessing the Bachelor's degree from a recognised University in Journalism or Bachelor's degree from a recognised University with Diploma in Journalism from a recognised institute or University.</p> <p>Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the</p>	<p>Textiles - Member; 3. A Senior Officer of Central Silk Board from Administration – Member.</p>	
--	--	--	---	---	--

			Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of applications.		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. Assistant Director (Official Language).	6* (2021) * Subject to variation dependent on work load.	Group 'A', Non-Ministerial.	Level -10 in the pay matrix (Rs.56100-177500).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	By promotion failing which by deputation.	<p>Promotion: From among the Senior Translator (Hindi) in level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) with three years regular service in the grade.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have</p>	<p>(I) Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A Director from Central Silk Board - Chairman; 2. A Joint Director or Deputy Director from outside Central Silk Board – Member; 3. A Joint Director (Administration) or Deputy Director (Administration and Accounts) from the Central Silk Board – Member. <p>(II) Composition of the Selection Committee for deputation:-</p>	

			<p>already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government or statutory or autonomous organisations functioning under the Central Government;</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on a regular basis; or (ii) with three years of regular service in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) or equivalent, and</p> <p>(b) possessing the following educational qualification,-</p> <p>(i) Master's degree from a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or (ii) Master's degree from a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or (iii) Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or</p>	<p>1. Member-Secretary, Central Silk Board - Chairman;</p> <p>2. Director or Deputy Secretary, Ministry of Textiles - Member;</p> <p>3. A Senior Officer of Central Silk Board from Administration - Member.</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>(iv) Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;</p> <p>or</p> <p>(v) Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; and</p> <p>(vi) Diploma or certificate course from a recognised institute or University in translation from Hindi to English and vice versa</p> <p>Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12. Assistant Director (Statistics).	4* (2021) * Subject to variation dependent on work load.	Group 'A', Non-Ministerial.	Level -10 in the pay matrix (Rs.56100-177500).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	By promotion failing which by deputation.	<p>Promotion: From among the Senior Statistician in level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) with three years regular service in the grade.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully</p>	<p>(I) Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A Director from Central Silk Board - Chairman; 2. A Joint Director or Deputy Director from outside Central Silk Board - Member; 3. A Joint Director (Administration) or Deputy Director (Administration and Accounts) from the Central Silk Board - Member. 	

			<p>completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government or statutory or autonomous organisations functioning under the Central Government;</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on a regular basis; or (ii) with three years of regular service in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) or equivalent, and</p> <p>(b) possessing the Bachelor's degree in Statistics from a recognised University.</p> <p>Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the</p>	<p>(I) Composition of the Selection Committee for deputation:-</p> <p>1. Member-Secretary, Central Silk Board - Chairman;</p> <p>2. Director or Deputy Secretary, Ministry of Textiles - Member;</p> <p>3. A Senior Officer of Central Silk Board from Administration - Member.</p>	
--	--	--	--	---	--

			same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of applications.		
--	--	--	--	--	--

[F. No. 25012/01/2021-Silk]

J. K. DORA, Under Secy.